राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय,राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प.3(iv)आकृ / लेखा / विलेप / 2019–20 / 2670 – 2850 दिनांकः 6/8/19

1. निदेशक,राज्य कृषि प्रबंध संस्थान,दुर्गापुरा, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक कृषि (गुण नियंत्रण) / (वनस्पति) / (पौध व्याधि) कीटनाशी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड जयपुर / सीकर / भीलवाड़ा / जोधपुर / जालौर / श्रीगंगानगर / बीकानेर / उदयपुर / कोटा / (तिलहन) भरतपुर।

विषयः– विभागीय आंतरिक निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम एवं बकाया अनुच्छेदों की अनुपालना भिजवाने के संबंध में।

प्रसंगः– आयुक्तालय का पत्रांक 1412–1572 दिनांक 14.05.2018, 3295–3311 दिनांक 09.07.2018, 4727–4887 दिनांक 25.09.2018 एवं 7252–7367 दिनांक 22.02.2019

प्रायः यह देखा गया है कि आयुक्तालय द्वारा बार–बार पत्र लिखने के उपरांत भी आपके एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों के द्वारा विभागीय आंतरिक निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम एवं बकाया आक्षेपों की ठोस एवं सारगर्भित अनुपालना आयुक्तालय को नहीं भिजवाई जा रही है, जिससे लम्बी अवधि से बकाया आक्षेपों का निस्तारण समय पर नहीं हो पा रहा है तथा आक्षेप निस्तारण की गति धीमे स्तर पर बनी हुई है जिससे विभाग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रथम एवं बकाया आक्षेपों की अनुपालना समय पर नहीं भिजवाया जाना राजकीय कार्य के प्रति उदासीनता का प्रतीक है जो अत्यंत खेदजनक है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों के विभागीय आंतरिक निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम एवं बकाया आक्षेपों (संलग्न सूची के अनुसार) की ठोस एवं सारगर्भित नवीनतम अनुपालना आपकी टिप्पणी सहित आयुक्तालय को अनिवार्य रूप से 15 दिवस में विलम्ब के कारण सहित भिजवाया जाना सुनिश्चित करते हुए अधोहस्ताक्षकर्ता को भी आवश्यक रूप से सूचित करें अन्यथा अनावश्यक विलम्ब हेतु उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु उचित प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(डॉ0 ओम प्रकाश)
आयुक्त, कृषि

क्रमांकः प.3(iv)आकृ / लेखा / विलेप / 2019–20 / 2670 – 2850 दिनांकः 6/8/19

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप निदेशक कृषि (विस्तार) (एटीसी) / सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) / कृषि अनुसंधान अधिकारी / ... . को प्रेषित कर लेख है कि आंतरिक निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम एवं बकाया आक्षेपों की ठोस अनुपालना 15 दिवस में संयुक्त निदेशक कृषि कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
2. ए.सी.पी. मुख्यालय को भेज कर लेख है कि उक्त पत्र को कृषि विभाग की वैबसाईट पर उपलब्ध करावें।

वित्तीय सलाहकार,कृषि

पंत कृषि भवन,वानिकी पथ,जनपथ,जयपुर–302005 दूरभाष सं0 0141–2227946
विभागीय पोर्टल : **www.agriculture.rajasthan.gov.in**, ई–मेल–**fa_agr@rediffmail.com**